निर्यात (क्वालिटी नियांत्रण और निरीक्षण) अधिनियम , 1963

(1963 का अधिनियम संख्यांक 22)

(24 अगस्त,1963)

क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार का ठोस विकास करने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपाबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :---

संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,--

(क) परिषद से धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है ;

(ख) निर्यात से उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित भारत से , भारत के बाहर किसी स्थान के लिए, ले जाना अभिप्रेत है ;

(ग) किसी वस्तु के संबंध में निरीक्षण से उस वस्तु के माल के पूरे बैच के या चुने हुए नमूने के या नमूनों के, जो पूरे बैच का द्योतन करने के लिए तात्पर्यित है, साधारणतया निरीक्षण द्वारा यह अवधारण करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है कि क्या उस वस्तु के माल का कोई बैच उस वस्तु को लागू मानक विनिर्देशों के या निर्यात संविदां में नियत अन्य विनिर्देशों के अनुसार है या नहीं ;

(घ) अधिसूचित वस्तु से धारा 6 के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित वस्तु अभिप्रेत है ;

(ड.) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) क्वालिटी नियंत्रण में कोई ऐसी क्रिया अभिप्रेत है जिसका उद्धेश्य किसी वस्तु की क्वालिटी का (चसहे या विनिर्माण की या उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान हो या उसके पश्चात की हो) अवधारण करना है । यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि क्या वह उसे लागू मानक विनिर्देशों को या निर्यात संविदा में नियत किन्ही अन्य विनिर्देशों को पूरा करती है और क्या उसे निर्यात के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाए ।

निर्यात निरीक्षण परिषद की स्थापना ।

3. (1) केन्द्रीय सरकार ,राजपत्र में अधियूचना द्वारा ऐसी तारीख को जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए,निर्यात निरीक्षण परिषद के नाम से ज्ञात एक परिषद की स्थापना कर सकेगी । इसमें निम्नलिखित होंगे :--

(क) अध्यक्ष, जिसे केन्द्रीय सरकार नियुक्त करें ;

(ख) निरीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण निदेशक, पदेन, जो सचिव होगा ;

(ग) मानकीकरण के लिए भारत सरकार का अवैतनिक सलाहकार तथा निदेशक, भारतीय मानक संस्थान, पदेन ;

(ध) भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार, पदेन ;

(ड.) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक, पदेन ;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित ग्यारह अन्य सदस्य, जिनमें से तीन सदस्य धारा 7 में निर्दिष्ट अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होंगे

(2) परिषद पूर्वोक्त नाम से , शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी जिसे सम्पत्ति के धारण ,अर्जन और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा खंड (च) में निर्दिष्ट परिषद के सदस्यों की पदावधि ,उनमें आकस्मिक रिक्तियों को भरने की पद्धति और परिषद के सदस्य को संदेय यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते और परिषद द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन से अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया , ऐसी होगी , जो विहित की जाए ।

(4) परिषद का कोई भी कार्य या कार्रवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि परिषद में कोई रिक्ति थी या उसके गठन में कोई त्रुटि थी ।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अधीन रहते हुए, परिषद ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी , जैसे वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन

करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

नियंत्रण और क्वालिटी नियंत्रण निदेशक ।

4. केन्द्रीय सरकार , इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए , जो विहित किए जाएं , निरीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण निदेशक नियुक्त करेगी ।

परिषद के कृत्य

5. (1) साधारणतया परिषद के कृत्य होंगे -- निर्यात के लिए आशयित वस्तु के संबंध में क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण को प्रवर्तित करने के उपायों की बाबत केन्द्रीय सरकार को सलाह देना तथा उसके लिए योजनाएं बनाना, केन्द्रीय सरकार की सहमति से धारा 7 के अधीन स्थापित तथा मान्यताप्राप्त अभिकरणों को सहायता अनुदान देना और ऐसे अन्स कृत्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा उसे सौंपे जाए ।

(2) अपने कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए परिषद ,किसी वस्तु या उसके व्यापार से संबंधित विषयों का विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले उतने व्यक्तियों को जितने वह ठीक समझे , सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकेगी, और ऐसे व्यक्ति को परिषद के विचार विनिमय में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए वह सदस्य नहीं होगा ।

(3) परिषद अपने कृत्यों से संबंधित विशेष समस्याओं का अन्वेषण करने के लिए विशेषज्ञों का भी गठन कर सकेगी ।

(4) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन में, परिषद ऐसे निर्देशों से आवद्ध होगी,जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर लिखित रूप से उसे दे ।

क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के बारे में केन्द्रीय सरकार की शक्तियां

6. यदि परिषद से परामर्श के पश्चात केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा --

(क) उन वस्तुओं को अधिसूचित कर सकेगी , जिनके निर्यात करने से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों किया जाएगा ;

(ख) क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण का प्रकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो किसी अधिसूचित वस्तु को लागू किया जाएगा ;

(ग) किसी अधिसूचित वस्तु के लिए एक या अधिक मानक विनिर्देश स्थापित, अंगीकार या मान्य कर सकेगी ;

(घ) अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में किसी अधिसूचित वस्तु का निर्यात तब तक प्रतिषिद्ध कर सकेगी जब तक उसके साथ धारा 7 के अधीन जारी किया

गया वह प्रमाण- पत्र न हो कि वह वस्तु क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण से संबंधित शर्तो को पूरा करती है या उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य चिन्ह या मुद्रा लगी हुई है जो यह दर्शित करती है कि वह खंड (ग) के अधीन उसे लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के लिए संगठन ।

7. (1) केन्द्रीय सरकार ,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, क्वालिटी नियंत्रण या दोनों के लिए ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए ,जैसी वह ठ ीक समझे, अभिकरण स्थापित कर सकेगी या उन्हे मान्यता दे सकेगी ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस उपधारा के अधीन किसी अभिकरण को दी गई मान्यता, लोकहित में वापस ली जानी चाहिए , तो केन्द्रीय सरकार, उस अभिकरण को उस विषय में अभ्यावेदन करने के लिए उचित अवसर देने के पश्चात् वैसी ही अधिसूचना द्वारा उसे दी गई मान्यता वापस ले सकेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अभिकरण उसे किए गए आवेदन पर या अन्यथा, ऐसी परीक्षा कर सकेगा, या करवा सकेगा , जैसा वह ठीक समझे । यह परीक्षा या तो निर्यात के समय या पहले ऐसे परीक्षण गृहों में या ऐसे सर्वेक्षकों या नमूना- परीक्षकों द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण के संबंध में की जाएगी जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है और और अभिकरण ऐसी फीसे ं प्रभारित कर सकेगा , जो ऐसी परीक्षा के प्रयोजन के लिए विहित की जाएं ।

(3) यदि परीक्षा के पश्चात अभिकरण की यह राय है कि वह वस्तु ,यथास्थिति , धारा 6 के अधीन उनके बारे में अधिकथित मानक विनिर्देशों या निर्यात संविदा में नियत किन्ही अन्य विनिर्देशों को पूरा करती है , तो वह यह प्रमाण- पत्र जारी कर सकेगा कि वह वस्तु क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्ते पूरी करती है ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण के प्रमाण- पत्र जारी करने से इंकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी तारीख के भीतर जो विहित की जाए , अपील कर सकेगा । यह अपील ऐसे प्राधिकारी को होगी जिसे केन्द्रीय सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , अपीलों की सुनवाई केप्रयोजन के लिए, नियत करें ।

(5) उपधारा

(6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई अपील फाइल नहीं की गई है , वहां अभिकरण का विनिश्चय और जहां अपील फाइल की गई है ,वहां अपील प्राधिकारी का विनिश्चय, अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं

किया जाएगा ।

(7) केन्द्रीय सरकार, , किसी भी समय इस धारा के अधीन किसी अभिकरण या अपील प्राधिकारी के किसी विनिश्चय से संबंधित किसी कार्यवाही का अभिलेख ऐसे विनिश्चय की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए,मांग सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी तथा उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी , जैसा वह ठीक समझे ।

मानक विनिर्देशों से अनुरूपता दिखाने के लिए चिन्हों की मान्यता देने या स्थापित करने की शक्ति ।

8. (1) केन्द्रीय सरकार ,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,किसी अधिसूचित वस्तु के संबंध में , यह दिखाने के प्रयोजन के लिए कि वह वस्तु उसको लागू होने वाले मानक विनिर्देश के अनुरूप है , किसी चिन्ह या मुद्रा को मान्यता दे सकेगी या स्थापित कर सकेगी ।

(2) किसी अधिसूचित वस्तु पर ऐसे किसी चिन्ह या उस पर चिपकाई या लगाई गई मुद्रा अथवा ऐसी वस्तु के किसी आवरक या उस पर लगे हुए लेबल के बारे में यह समझा जाएगा कि वह वस्तु इस अधिनियम के अधीन उसको लागू होने वाले मानक विनिर्देशों के अनुरूप है :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी सीमा शुल्क अधिकारी को निर्यात के लिए आशयित किसी अधिसूचित वस्तु के किसी परेषण की परीक्षा करने से नहीं रोकेगी , यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि मुद्रा या चिन्ह असली नहीं है या कपटपूर्ण रीति से चिपकाए गए है या लगाए गए है या यदि उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजन के लिए ऐसी परीक्षा आवश्यक है ।

निर्यातकर्ताओं आदि से जानकारी प्राप्त करने की शक्ति ।

9. केन्द्रीय सरकार या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी, राजपत्र में प्रकाशित सूचना द्वारा --

(i) अधिसूचित वस्तुओं का विनिर्माण, व्यवहार या निर्यात करने वाले व्यक्तियों से , और

(ii) ऐसे अन्य व्यक्तियों से , जो विहित किए जाएं ,

कोई ऐसी जानकारी, विवरणी या रिर्पोट देने की अपेक्षा कर सकेगस जिसे केन्द्रीय सरकार या ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे ।

वित्त, लेखे और

10. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए

लेखा परीक्षा ।

परिषद को सक्षम बनाने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित विधि द्वारा सम्यक विनियोग किए जाने के पश्चात परिषद को ऐसी धनराशियां संदत कर सकेगी जिन्हे केन्द्रीय सरकार अनुदानों या उधारों के रूप में या अन्यथा आवश्यक समझे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए परिषद इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित निकायों और संस्थाओं से अनुदान या संदान प्राप्त कर सकेगी ।

(3) परिषद की अपनी एक निधि होगी , जिसमें उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट धनराशिया जमा की जाएगी और निधि का धन --

(क) परिषद के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा परिषद के अन्य प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए ,

(ख) इस अधिनियम के अधीन परिषद के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए, लगाया जाएगा ।

(4) परिषद प्रत्येक वित्तिय वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व उस वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के कार्यक्रम की बाबत और उसके बारे में एक वित्तीय प्राक्कलन भी तैयार करेगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन तैयार किया गया विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से तीन मास के पहले केन्द्रीय सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(6) परिषद ऐसे लेखे रखेंगी और ऐसे प्ररूप में तुलन पत्र तैयार करेगी जो भारत के नियंत्रक महा- लेखा परीक्षक के परामर्श से विहित किया जाएगा ।

(7) परीषद के लेखें ऐसी रीति से रखे जाऐगें और ऐसे समय पर उनकी लेखा परीक्षा की जाएगी, जो भारत के नियंत्रक महा - लेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाएगा ।

शास्ति ।

11. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 6 के खण्ड (घ) के अधीन किसी आदेश का उल्लंधन करेगा या धारा 7 के अधीन कपटपूर्वक कोई प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा या धारा 8 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कपटपूर्वक चिन्ह या मुद्रा लगाएगा तो वह दोषसिद्धि पर --

(i) प्रथम अपराध के लिए, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से , जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा , या दोनो से , दण्डनीय होगा ।

(ii) द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी , जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा , और विशेष तथा पर्याप्त कारणों के अभाव में , जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, ऐसा कारावास तीन मास से कम का नही होगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा, या उसके लिए दुष्प्रेरण करेगा, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा अपराध किया है ।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का या उसके अधीन बनाए गए किन्ही नियमों या आदेशों का उल्लंधन करेगा या उल्लंधन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंधन करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा तो वह जुर्माने से , जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध ।

12. (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है , वहाँ प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस उल्लंधन के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाऐंगे , और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्रवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता हे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकार ी की सहमति या मौनानुकुलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है या ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकार ी भी उस अपराध का दौषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण :-- इस धारा के प्रयोजन के लिए -----

(क) **कम्पनी** से कोई निर्गमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है , तथा

(ख) फर्म के संबंध में **निदेशक** से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

व्यक्तियों का प्रत्यायोजन ।

13. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली कोई शक्ति ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो , जो उस निदेश में विर्निदिष्ट की जाएं निम्नलिखित द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी :-

(क) परिषद

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी या ऐसी राज्य सरकार या उस राज्य सरकार के अधिनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी जो ऐसे निदेश में विर्निदिष्ट किए जाएं ।

अभियोजन के लिए प्रक्रिया ।

14. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई भी अभियोजन इस निमित केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साधारण या विशेष आदेश के बिना या उसकी सहमति के बिना , संस्थित नहीं किया जाएगा ।

अभिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।

15. परिषद के या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या मान्य किसी अभिकरण के सभी अधिकारी या कर्मचारी और उस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट परीक्षण- गृह सभी सर्वेक्षक के नमूना - परीक्षक तथा कर्मचारी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबन्धों या आदेश के अनुसरण में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले , भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

16. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोंई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही , परिषद या सरकार या परिषद के किसी कर्मचारी या अधिकारी या धारा 7 की उपधारा

(1) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण के विरूद्ध नहीं होगी ।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या सद्भावपूर्वक की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या सम्भाव्वत: होने वाले किसी नुकसान के लिए सरकार के विरूद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

नियम बनाने शक्ति ।

17. (1) केन्द्रीय सरकार ,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

बिना ऐसे नियम निम्नलिखित का उपबंध कर सकेंगे :--

(क) परिषद के सदस्यों , धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सह्योजित व्यक्तियों तथा उस धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट विशेषज्ञ समितियों के सदस्यों को संदेय यात्रा तथा दैनिक भत्ते ;

(ख) परिषद के कृत्य तथा उसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) परिषद के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ;

(ध) विभिन्न प्रकार के क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ड.) वे शर्तें जिन्हे परीक्षण - गृह , सर्वेक्षक , या नमूना - परीक्षक को , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन के प्रयोजनों के लिए पूरा करना चाहिए ;

(च) धारा 7 के अधीन परीक्षा तथा प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजनों के लिए प्रभार्य फीसें ;

(छ) धारा 7 के अधीन अपीलों को फाईल किया जाना तथा उसके लिए संदेय फोने ;

(ज) वह रीति , जिसमें परिषद के लेखे रखे जाएंगे और उनकी लेखा - परीक्षा की जाएगी ।

(झ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीध्र संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक समक्ष , जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के , जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनो सदन सहमत हों जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर पप्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

अधिनियम का अन्य

18. उस तारीख से , जिससे धारा 6 के खण्ड (क) के अधीन कोई वस्तु अधिसूचित की जाती है इस अधिनियम के उपबंध या उसके अधीन की गई

अधिनियमितियों पर अध्यारोही होना ।

कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभावी है , अन्तर्विष्ट किन्ही ऐसे उपबंधों के होते हुए भी (जो ऐसी वस्तु के निर्यात- पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से सम्बन्धित है) उस वस्तु के सम्बन्ध में प्रभावी होगी ।

अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय
नई दिल्ली, 30 दिसम्बर,1363

का0आ0 3604 केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) उपधारा (3) की धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक जनवरी, 1964 से इस अधिनियम को प्रभावी करती है

(सं0 30 (4) निर्यात निरी0/63)

संशोधित अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख
वाणिज्य मंत्रालय
नई दिल्ली, 02 जुलाई,1984

का0आ0 594 (ई) केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधित अधिनियम, 1984 (1984 का 40) उपधारा (3) की धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 02 जुलाई 1984 की तारीख ससे इस अधिनियम को प्रभावी करती है

(फा.सं. 2 (27)/77- ईआई एण्ड ईपी)

24678